पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 जुलाई, 2016 ई0 (श्रावण 01, 1938 शक सम्वत्) [संख्या–30

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	391–396	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	563–597	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	21–24	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	203	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य)

कार्यालय ज्ञाप

30 जून, 2016 ई0

संख्या 235/XV–3/2016–01(08)/2015–मत्स्य विभाग में सहायक निदेशक, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400, के 02 रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा गठित चयन समिति की दिनांक 23 मई, 2016 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षकों को सहायक निदेशक, मत्स्य, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400, में पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. श्री अनिल कुमार, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक,
2. श्री जी0 एस0 बिष्ट, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक।

2. नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त अधिकारियों को सहायक निदेशक के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

4. उक्त कार्मिकों के तैनाती आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,

डा0 रणबीर सिंह,

अपर मुख्य सचिव।

कार्मिक अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

08 जुलाई, 2016 ई0

संख्या 1201/XXX–1–16–25(4)/2008–उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के उच्चतर वेतनमान ₹15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 8,900, में कार्यरत श्री विजय चन्द्र कौशल को उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के उच्चतम वेतनमान ₹ 37,400–67,000+ग्रेड पे ₹ 10,000, में दिनांक 27.12.2015 से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

05 जुलाई, 2016 ई0

संख्या 1401/XX–3–2016–05(17)2013–श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस सम्बन्ध में श्री राजीव कुमार, षष्ठम्, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 608/XX–3–2015–05(17)2013, दिनांक 08 मई, 2015 को विखण्डित करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अधीन मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल की संस्तुति पर उक्त अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों में सतर्कता अवस्थापना द्वारा पंजीकृत चालानों के विचारण हेतु श्री ब्रिजेन्द्र सिंह, चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून को उनके पद के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

विनोद शर्मा,
सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

30 जून, 2016 ई0

संख्या 1054/II–2016–01 (29) (18)–2011/2013–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर चयन वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के सापेक्ष नियमित चयन द्वारा प्रोन्नति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 101/08/ई–1/डी0पी0सी0/2016–17, दिनांक 18.06.2016 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को सहायक अभियन्ता (सिविल), वेतनमान ₹ 15,600–39,100 एवं सादृश्य ग्रेड पे ₹ 5,400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

डिप्लोमाधारी संवर्ग:–

क्र0 सं0	नाम	अभ्युक्ति
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	हरीश चन्द	रिक्त पद के सापेक्ष
2.	नवीन रावत	रिक्त पद के सापेक्ष
3.	नवीन चन्द्र पांडे	रिक्त पद के सापेक्ष
4.	नागेश प्रसाद पपनै	रिक्त पद के सापेक्ष
5.	अनिल कुमार त्यागी	रिक्त पद के सापेक्ष
6.	बृजमोहन सिंह	रिक्त पद के सापेक्ष
7.	महेन्द्र सिंह बोरा	रिक्त पद के सापेक्ष
8.	असगर अली	रिक्त पद के सापेक्ष

1	2	3
	सर्वश्री	
9.	अविनाश कुमार सैनी	रिक्त पद के सापेक्ष
10.	मौ0 इमरान	रिक्त पद के सापेक्ष
11.	जातेश कुमार	रिक्त पद के सापेक्ष
12.	संजीव यादव	रिक्त पद के सापेक्ष
13.	संजीव कुमार	रिक्त पद के सापेक्ष
14.	शशि भूषण	रिक्त पद के सापेक्ष
15.	भूपेन्द्र सिंह असवाल	रिक्त पद के सापेक्ष
16.	बृजेश कुमार चौधरी	रिक्त पद के सापेक्ष
17.	कुन्दन वन	रिक्त पद के सापेक्ष
18.	दर्मियान सिंह असवाल	रिक्त पद के सापेक्ष
19.	राकेश कुमार यादव	रिक्त पद के सापेक्ष

2. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनके पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

4. उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 1782/एस0एस0/2012, अवनीश भटनागर व अन्य बनाम राज्य पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
सचिव।

वित्त अनुभाग–9

अधिसूचना

30 जून, 2016 ई0

संख्या 160/2016/XXVII (9)/स्टॉम्प–55/2009–चूँकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है;

अतः, श्री राज्यपाल महोदय, भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, शासन की अधिसूचना संख्या–266/XXVII (9)/2013/स्टॉम्प–55/2009, दिनांक 02 जुलाई, 2013 में आंशिक संशोधन करते हुए आगामी 01 वर्ष अर्थात् दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 की तारीख तक ₹ 5,00,000 (₹ पाँच लाख मात्र) तक के कृषि ऋण पर स्टॉम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

श्रीधर बाबू अद्दांकी,
अपर सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

विज्ञप्ति / प्रोन्नति

23 जून, 2016 ई0

संख्या 833 / II–2016–01(90) / 2003–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संगणक से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयन वर्ष 2015–16 के सापेक्ष नियमित चयन द्वारा प्रोन्नति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक 54 / 57 / ई–1 / डी0 पी0 सी0 / 2015–16, दिनांक 17.05.2016 द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित संगणकों को सहायक अभियन्ता (सिविल), वेतनमान ₹ 15,600–39,100 एवं सदृश्य ग्रेड पे ₹ 5,400, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नानुसार पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1.	श्री मनमोहन भटनागर	रिक्त पद के सापेक्ष,
2.	श्री अनिल कुमार वर्मा	रिक्त पद के सापेक्ष,
3.	श्री विजेन्द्र कुमार	श्री विपिन चन्द्र जोशी, सहायक अभियन्ता की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2016 से उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष,
4.	श्री हरीश चन्द्र ध्यानी	श्री मनमोहन भटनागर की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2016 से उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष।

2. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनके पदस्थापना के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि जो भी पहले हो, की अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

आज्ञा से,

किशन नाथ,
अपर सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

30 जून, 2016 ई0

संख्या 1246 / XXXI(1) / 2016 / पदो0–30 / 2015–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत श्री चन्द्रशेखर उपाध्याय, समीक्षा अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री उपाध्याय, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1997 / 2013 (एस / एस), धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 146 एस0बी0 / 2014, दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 22122 / 2013, सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270 (एस0बी0) / 2015,

शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271 (एस0बी0)/2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, 272 (एस0बी0)/2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273 (एस0बी0)/2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 274 (एस0बी0)/2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य के अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0 में योजित स्पेशल अपील संख्या 31/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 23254/2015, हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.09.2015 के परिपेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5828 (एस/एस)/2015, डा0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन की जा रही है।

4. अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत श्री चन्द्रशेखर उपाध्याय, अनुभाग अधिकारी को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग में तैनात किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती के विभाग/अनुभाग में तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0), अनुभाग–01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
उप सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट/339–भाग 1–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 जुलाई, 2016 ई0 (श्रावण 01, 1938 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 25, 2016

No. 167/UHC/XIV/2/Admin.A/2006--Sri Sikand Kumar Tyagi, District & Sessions Judge, Pithoragarh is hereby sanctioned medical leave for 10 days *w.e.f.* 04.06.2016 to 13.06.2016.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

June 27th, 2016

No. 168/UHC/Admin.A/2016--In exercise of the powers conferred by Rule 27(I) of the Uttarakhand Higher Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling in this behalf, Hon'ble the Court is pleased to grant the selection grade of ₹ 57,700-1,230-58,930-1,380-67,210-1,540-70,290 to Sri Malik Mazhar Sultan, 1st Additional District Judge, Hardwar w.e.f. 01.12.2015.

By Order of the Court,

Sd/-

KANTA PRASAD,

Registrar General.

CHARGE CERTIFICATE

June 22nd, 2016

No. 2950/Admin.(A)-UHC/2016--CERTIFIED that the Office of the Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital, was transferred *vide* Govt. Notification No. 1118/XXX-1-15-28(1)/16, dated 17.06.2016 of Joint Secretary, Department of Personnel-1, Government of Uttarakhand, Dehradun and subsequent letter no. 2902/XIII-F-1/Admin.A/2008, dated 18.06.2016 of Hon'ble High Court, as herein denoted in the afternoon of June 22nd, 2016.

BHARAT BHUSHAN PANDEY,
Relieving Officer.

Countersigned,

KANTA PRASAD,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand.

OFFICE OF THE DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY, PITHORAGARH

CERTIFICATE OF TAKING OVER CHARGE

June 22/23, 2016

No. 125/DLSA-14/2014--CERTIFIED that the office of the Secretary, District Legal Services Authority, Pithoragarh was taken over under the order of Hon'ble Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital *vide* notification no. 713/III-A-9/2009/SLSA/2016, dated June 21, 2016, as hereinafter denoted, in the forenoon of June 22, 2016.

Smt. PRATIBHA TIWARI,
Chief Judicial Magistrate/
Secretary,
District Legal Services Authority,
Pithoragarh.

Countersigned,

SIKAND KUMAR TYAGI,
District Judge/Chairperson,
District Legal Services Authority,
Pithoragarh.

OFFICE OF DISTRICT & SESSIONS JUDGE, CHAMPAWAT

TAKING OVER CHARGE CERTIFICATE

ON FIRST APPOINTMENT

June 28th, 2016

No. 554/I-14-2016--"CERTIFIED that, the charge of the office of Judicial Magistrate, Tanakpur, District Champawat has been taken over by me, as here is denoted, in the forenoon of this 28th of June, 2016 under the Notification No. 160/UHC/ Admin.A/2016, dated June 20, 2016 and further *'Corrigendum'* Notification No. 169/UHC/Admin.A/2016, dated June 28th, 2016 thereon of the Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital."

RAJENDRA KUMAR,
Judicial, Magistrate,
Tanakpur.

Countersigned,

PREM SINGH KHIMAL,
District Judge,
Champawat.

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), नई टिहरी

आदेश

24 मई, 2016 ई0

पत्रांक 158/लाइसेंस निलम्बन/2016–विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा वाहन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत ओवरलोडिंग, शराब पीकर वाहन का संचालन आदि अभियोगों में संलिप्त निम्नवत् चालकों के लाइसेंसों के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथा जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, ज्योति शंकर मिश्र (प्र0), सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्र0), नई टिहरी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त लाइसेंसों को निलम्बित करता हूँ। उक्त अवधि में लाइसेंस निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा। उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगाः–

क्र0 सं0	लाइसेंसधारक का नाम	लाइसेंस संख्या/श्रेणी एवं वैधता	प्रवर्तन अधिकारी का पदनाम	चालान में लगाये गये अभियोग	लाइसेंस के विरूद्ध की गयी कार्यवाही
1.	श्री संजय सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, मकान नं0 15, रैडक्रॉस, पो0 चम्बा, टि0ग0	UK-0920160018429, मोटर साईकिल एवं हल्का मोटरयान, वैधता 07.04.2036	एआरटीओ (प्र0), टिहरी	शराब पीकर वाहन का संचालन	24.05.2016 से 23.09.2016 तक निलम्बित (04 माह)
2.	श्री सुरेश लाल पुत्र श्री जतनी, मकान सं0–50, ग्राम सौड़, थाना काणाताल, टि0ग0	UK-00919990011938, हल्का मोटरयान, हल्का परिवहन यान, वैधता 10.07.2017	पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	शराब पीकर वाहन का संचालन	24.05.2016 से 23.09.2016 तक निलम्बित (04 माह)

ज्योति शंकर मिश्र,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्र0),
नई टिहरी।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

24 जून, 2016 ई0

पत्रांक 327/प्रवर्तन/लाइसेंस/2016–श्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र श्री केदार सिंह, ग्राम पूलन, पो0 खलियाण, जिला रूद्रप्रयाग, का दिनांक 22.04.2016 को पुलिस विभाग, चमोली द्वारा वाहन संख्या यू0के0 13टी0ए0–0390 (मैक्सी कैब) का शराब का सेवन कर व खतरनाक ढंग से वाहन संचालन करने के अभियोग में चालान किया गया। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक, चमोली द्वारा चालक के चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0के0 1320110000653, जो कि इस कार्यालय द्वारा क्रमशः MCWG(NT), LMV(NT), LMV(T) व पहाड़ी मार्गों हेतु जारी किया गया था। जिसकी वैधता क्रमशः 05.06.2031 (अव्यवसायिक) व 19.08.2016 (व्यवसायिक) तक है, के विरूद्ध निरस्तीकरण/निलम्बन की संस्तुति की गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पत्रांक 299/डी0एल0/सा0प्रशा0/2016, दिनांक 10.06.2016 के माध्यम से श्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र श्री केदार सिंह, ग्राम पूलन, पो0 खलियाण, जिला रूद्रप्रयाग को नोटिस प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में इनके द्वारा दिनांक 20.06.2016 को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। जो कि सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, पंकज श्रीवास्तव, प्र0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपके लाइसेन्स संख्या यू0के0 1320110000653 (वैधता उपरोक्त) को दिनांक 20.06.2016 से 19.09.2016 तक तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूँ।

पंकज श्रीवास्तव,
प्र0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

29 जून, 2016 ई0

पत्रांक 1115/टी0आर0/पंजी0नि0/UP01-1990/2016–वाहन संख्या UP01-1990, मॉडल 1994, चेसिस संख्या 379045HVQ821567 तथा इंजन नं0 497D21HVQ751322, कार्यालय में श्री सन्नी शर्मा पुत्र श्री किशन शर्मा, निवासी मलसा गिरधरपुर, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 27.06.2016 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। वाहन का कर 30.06.2016 तक जमा है। वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का काई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP01-1990 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 379045HVQ821567 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

अधिसूचना

11 मई, 2016 ई0

संख्या 257/उ0खा0ग्रा0बो0/2016–उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1960) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 10 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस विषय पर समस्त विद्यमान विनियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (समूह "क" एवं "ख"), सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा निम्नलिखित सेवा विनियमावली बनाता है:–

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (समूह "क" एवं "ख") सेवा विनियमावली, 2016

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस विनियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड समूह "क" एवं "ख" सेवा विनियमावली, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (समूह "क" एवं "ख") सेवा में समूह "क" एवं "ख" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएँ

3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस विनियमावली में:–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "अधिनियम" से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 अभिप्रेत है;

(ग) "बोर्ड" से उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(ङ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रत है;

(च) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस विनियमावली या इस विनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त विनियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (समूह "क" एवं "ख") सेवा अभिप्रेत है

(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गई हो;

(ञ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपविनियम (1) के अधीन पैरा–4 में परिवर्तन करने के आदेश न दिए जाएं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट में अंकित है:

परन्तु यह कि:–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या उसे आस्थगित रख सकता है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा;

या

(ख) बोर्ड राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग–तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती परिशिष्ट "क" के स्तम्भ–6 में सुसंगत पदों के सामने यथाविनिर्दिष्ट स्रोतों से की जायेगी।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो,

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ग) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न ही देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हताएं

8. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट "क" के स्तम्भ–7 में प्रत्येक पद के सामने दर्शायी गयी अर्हताएं होनी चाहिएं।

अधिमानी अर्हताएं

9. अन्य बातों के सामान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।

आयु

10. सेवा में विभिन्न पदो पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किएं जाएं, और पहली जुलाई को यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किएं जाएं, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो:

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाएं , अभ्यर्थियों के मामले में ,उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सेवा में सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान स्वयं करेगा।

टिप्पणीः– संघ सरकार या राज्य सरकार या संघ सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगें।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु यह कि बोर्ड किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता हैं यदि उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड–दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दें:

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

भाग–पांच – भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणी के पदों पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा, नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को दो प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित करायेगा।

सीधी भर्ती 15. (1) सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी –अध्यक्ष;

(ख) यदि नियुक्ति प्राधिकारी या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का नही है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी । यदि नियुक्ति प्राधिकारी या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी से भिन्न एक अधिकारी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा –सदस्य;

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें एक अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का अधिकारी होगा –सदस्य;

(घ) अधिष्ठान का प्रभारी अधिकारी –सदस्य;

(ड.) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक तकनीकी अधिकारी –सदस्य;

(च) सरकार के कार्मिक विभाग का सचिव या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव से अनिम्न श्रेणी का हो –सदस्य;

(छ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय का एक प्रतिनिधि –सदस्य।

(2) चयन समिति आवेदन पत्र की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।

(3) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। इस लिखित परीक्षा में सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान , एवं सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र होंगें। अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के प्रश्न पत्र की दो प्रतियां (एक कार्बन कापी) दी जाएगी, जिससे अभ्यर्थी एक प्रति अपने पास रख सके। अटकलबाजी रोकने के लिए ऋणात्मक अंक पद्धति अपनाई जाएगी। चयन प्रकिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रश्न–पत्रों के उत्तर तथा अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समाचार पत्रों में विज्ञापित कराए जाएंगें और उन्हें सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा। चूंकि लिखित परीक्षा ली जाएगी अतएव किसी विशिष्ट पद के लिए अपेक्षित अर्हता से उच्चतर अर्हता रखने पर कोई अतिरिक्त अंक नही दिया जायेगा। तद्नुसार चयन हेतु अंकों का विभाजन निम्नवत् होगा :–

(क) न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा, (जैसे इण्टरमीडिएट) में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल प्राप्तांकों के 30 प्रतिशत अंक;

(ख) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के लिए 40 प्रतिशत अंक;

(ग) छटनीशुदा कर्मचारियों के लिए अधिकतम 15 प्रतिशत अंक होंगे, जो प्रतिवर्ष की पूरी सेवा के लिये 5 अंक के आधार पर आंगणित किए जाएंगे। उदाहरार्थ यदि किसी छटनीशुदा कर्मचारी ने पूरे वर्ष की सेवा की है तो उसे 5 अंक प्राप्त होगें और यदि दो वर्ष की सेवा की हो तो उसे 10 अंक प्राप्त होगें;

(घ) खेल खूद के लिये अधिकतम 5 प्रतिशत तक अंक निम्न प्रकार से दिए जाएंगे :–

(एक) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पुरुष /महिला खिलाडी के लिए – 5 प्रतिशत

(दो) राष्ट्रीय स्तर के पुरुष /महिला खिलाडी के लिए – 4 प्रतिशत

(तीन) राज्य स्तर के पुरुष/महिला खिलाडी के लिए – 3 प्रतिशत

(चार) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय स्तर के पुरुष /महिला खिलाडी के लिए – 2 प्रतिशत

(ड.) 10 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिए होंगे,जिनका विभाजन निम्नवत् होगा :—

(एक) 4 प्रतिशत तक सामान्य ज्ञान के लिए।

(दो) 3 प्रतिशत तक व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए।

(तीन) 3 प्रतिशत तक अभिव्यक्ति की क्षमता के लिए।

(च) लिखित परीक्षा के बाद उपर्युक्त उल्लिखित खण्ड 1 से 4 तक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्तांकों के लिए एक योग्यता सूची बनायी जाएगी। तत्पश्चात् योग्यता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के लिए 4 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

(छ) साक्षात्कार समिति के अध्यक्ष व सभी सदस्य उपरोक्तानुसार वर्गीकरण के आधार पर अंक देंगे। साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों में साक्षात्कार समिति के सदस्यों द्वारा पृथक रूप से दिए गए अंकों को जोड़कर उनकी संगणना की जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों को साक्षात्कार समिति को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, जिससे साक्षात्कार समिति अभ्यर्थियों के बारे में पूर्वाधारणा न बना सके।

(ज) साक्षात्कार के उपरान्त परन्तु चयन का परिणाम घोषित होने से पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(4) यदि कोई अभ्यर्थी चयन प्रकिया उसके दस्तावेज तथा दिए गए अंकों का निरीक्षण करना चाहता है, तो निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् निरीक्षण कर सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेजों की फोटो प्रति चाहता है, तो रू. 5.00 प्रति पृष्ठ शुल्क जमा करके उक्त फोटो प्रति प्राप्त कर सकता है।

(5) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो चयन समिति उनकी जन्मतिथि के आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगी।

(6) प्रतीक्षा सूची में योग्यता कम के अनुसार नामों की कुल संख्या रिक्तियों की कुल संख्या का 25 प्रतिशत होगा। इस प्रकार चयनित अभ्यर्थियों की तैयार की गयी सूची , चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जाएगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी— अध्यक्ष;

(ख) अधिष्ठान का प्रभारी संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी— सदस्य;

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी— सदस्य;

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक तकनीकी अधिकारी - सदस्यः

परन्तु यह कि यदि चयन समिति में पिछड़े वर्ग का कोई सदस्य न हो तो पिछड़े वर्ग के एक अधिकारी को चयन समिति के अतिरिक्त सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2.) नियुक्ति प्राधिकारी विनियमावली के अनुसार समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर चयनोत्तर पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उससे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाएं, विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखेगा।

(3). विभागीय पदोन्नति समिति उसके समक्ष रखे गये अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) विभागीय पदोन्नति समिति चयन किए गए अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची 17 यदि भर्ती के किसी वर्ष में सेवा में किसी श्रेणी के पदों के लिए नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो, तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से बारी–बारी से ऐसी रीति से लेकर रखे जायेंगें कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–छः –नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 18. (1) उप विनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर जिस क्रम में उनके नाम, यथास्थिति विनियम 15,16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएं, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें जेष्ठता क्रम में व्यक्तियों के नामों को जैसा कि चयन में अवधारित किया गया हो या जैसा उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, का उल्लेख होगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जानी हो, तो विनियम 17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार नाम रखे जाएंगे।

परीवीक्षा 19 (1.) किसी व्यक्ति को सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किए जाने पर कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष होगी।

(2.) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ायी जायः

परन्तु यह कि आपवादिक के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोषजनक सेवा करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जो उप विनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाता है, या जिसकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

20. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि :–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाए,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

21. (1) एतद्पश्चात् यथाउपबन्धित के सिवाय, सेवा में पदों की किसी श्रेणी में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाएं तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गए हों, अवधारित की जायेगी:

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाए, जिससे किसी व्यक्ति की मौलिक नियुक्ति की जानी हो, तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किए जाने के दिनांक से होगा:

परन्तु यह और कि यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएं, तो ज्येष्ठता वही होगी जो विनियम 18 के उप विनियम (2) के अधीन जारी किए गए नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित है।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय :

परन्तु यह कि सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किए जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) किसी एक चयन के परिणाम पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया था।

(4) जहॉ नियुक्ति पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से या एक से अधिक स्रोत से की जाए और स्रोतों का अपना कोटा विहित हो, वहां उनकी परस्पर ज्येष्ठता विनियम 17 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में , चकानक्रम से उनके नाम रखकर ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी कि विहित प्रतिशत बना रहे, परन्तु–

(क) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से अधिक की जाए, वहां कोटे से अधिक नियुक्त किए गए व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए उस या उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में जिसमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हो नीचे ले जाया जायेगा;

(ख) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम हों और ऐसी न भरी गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में की जाएं, वहां इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, किन्तु ऐसे वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी, जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की जाए, तथापि उस वर्ष की संयुक्त सूची में जो इस विनियम के अधीन तैयार की जायेगी, उनके नाम सबसे ऊपर रखे जायेगें,जिसके बाद नियुक्त किये गये व्यक्तियों के नाम चकानुक्रम में रखे जाएंगे।

भाग सात –वेतन

वेतनमान 22 (1) सेवा के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को ऐसे वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जैसा बोर्ड द्वारा सरकार के पूर्वअनुमोदन से समय–समय पर अवधारित किए जाएं।

(2) इस विनियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान ऐसे होंगें जैसे परिशिष्ट "क" में विनिर्दिष्ट सुसंगत पदों के सामने दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 23 परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जाएगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा यदि कोई हो, और प्रशिक्षण, जहां विहित हो, प्राप्त कर लिया हो और दो वर्ष की सेवा के पश्चात् द्वितीय वेतनवृद्धि तभी दी जाएगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो, और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफलता रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाए, तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

पक्ष समर्थन 24. किसी पद या सेवा में लागू विनियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी संस्तुति पर, चाहे लिखित हो या मौखिक ,विचार नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 25 ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा शर्तों में शिथिलता 26. जहां नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी विनियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलों में अनुचित कठिनाई होती हो, वहां वह उस मामले में लागू विनियमों में किसी बात के होते हुए भी सरकार के पूर्वानुमोदन से आदेश द्वारा उस विनिमय की अपेक्षाओं से उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्ति या उसे शिथिल कर सकता है।

स्थानान्तरण 27 सेवा में प्रत्येक श्रेणी के पदधारक को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों के अनुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है।

व्यावृत्ति 28 इस विनियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियासतों पर नहीं पडेगा, जिसका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था अपेक्षित हो।

परिशिष्ट "क"

(विनियम 4 का उपविनियम (4), विनियम 5 एवं 8 देखे

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान/ ग्रेड वेतन	तकनीकी/ गैरतकनीकी	स्वीकृत पद (स्थायी)	भर्ती का स्रोत	शैक्षिक अर्हताएं	नियुक्ति प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी	रु. 15600–39100 रु. 6600/–	गैरतकनीकी	01	मौलिक रूप से नियुक्त उप मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (वेतनमान रु. 15600–39100) में से अनुपयुक्तों को छोडते हुए, जेष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा, जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	–	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2	उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी	रु. 15600–39100 रु. 5400/–	गैरतकनीकी	02	मौलिक रूप से नियुक्त जिला ग्रामोद्योग अधिकारियों (वेतनमान रु. 15600–39100) में से अनुपयुक्तों को छोडते हुए, जेष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा, जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	–	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
3	जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	रु. 15600–39100 रु. 5400/–	गैरतकनीकी	13	(क) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती (ख) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त विकास अधिकारी, (9300–34800) ,प्रशासनिक अधिकारियों (द्वि.) (9300–34800)एवं लेखा निरीक्षक (9300–34800) वैयक्तिक सहायक (9300–34800) में से अनुपयुक्तों को छोडते हुए, जेष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा, जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	(क) स्नातक उपाधि (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग या प्रयोजित संस्थाओं से खादी ग्रामोद्योग का 10 मास का प्रशिक्षण	मुख्य कार्यपालक अधिकारी

1	2	3	4	5	6	7	8
4	सह निदेशक उद्योग (ऊन)	रु. 15600—39100 रु. 5400/—	तकनीकी	01	मौलिक रूप से नियुक्त डिजाईनर/ऑफीसर इंचार्ज लैब (9300—34800) में से अनुपयुक्तों को छोडते हुए, जेष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा, जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	—	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
5	प्रशिक्षक	रू. 9300—34800 रु. 4200/—	तकनीकी	04	सीधी भर्ती	1.स्नातक उपाधि 2. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से पर्यवेक्षण पाठयक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
6	डिजाईनर/ऑफीसर इंचार्ज लैब	रु. 9300—34800 रु . 4200/—	तकनीकी	01	मौलिक रूप से क्षेत्रीय अधीक्षकों उद्योग (ऊन) (9300—34800) में से अनुपयुक्तों को छोडते हुए, जेष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा, जिन्होंनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।		मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मनीषा पंवार,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

In pursuance of the Provisions of Clause (3) of "the Constitution of India" the Governor is please to order the publication of the following English translation of the notification **No. 257/II-05/2016**, dated May 11, 2016 for general information :

NOTIFICATION

May 11, 2016

No. 257/II-05/2016--In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of section 10 of the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board Act, 1960 (Uttar Pradesh Act No. 10 of 1960) (as applicable to the State of Uttarakhand) read with section 37 and in suppression of all existing regulations and orders on the subject, with the prior sanction of the Government, the Uttarakhand Khadi and Village Industries Board make the following regulation, regulating, the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Group "A" and "B" Service.

The Uttarakhand Khadi and Village Industries Board Group "A" and "B" Service Regulation , 2016

PART- I GENERAL

Short title and Commencement-

1. (1) These regulations may be called The Uttarakhand Khadi and Village Industries Board Group "A" and "B" Regulations 2016

(2) It shall come into force at once.

Status of the Service-

2. The Uttarakhand Khadi and Village Industries Board (Group "A" and "B") Service comprises Group "A" and Group "B" Posts.

Definitions-

3. In these regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(a) **"Appointing Authority"**, means Chief Executive Officer, Uttarakhand Khadi and Village Industries Board.

(b) **'Act'** means "The Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Act, 1960) Adaptation and Modification Order, 2002;

(c) **"Board"** means Uttarakhand Khadi and Village Industries Board.

(d) **"Citizen of India"** means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution.

(e) **"Constitution"** means **'the Constitution of India';**

(f) **"Government"** means the State Government of Uttarakhand;

(g) **"Member of the Service"** means a person substantively appointed under these Regulations or rules or orders in force prior to the commencement of these regulations to a post in the cadre of the Service;

(h) **"Service"** means the Uttarakhand Khadi & Village Industries Board Group "A" and "B" Service

(i) **"Substantive appointment"** means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the Service and made after selection in accordance with the regulations,

(j) **"Year of recruitment"** means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART II-CADRE

Cadre of Service-

4 (1) The strength of the Service and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Board with prior approval of the State government from time to time.

(2) The strength of the Service and each category of posts therein shall, until orders varying the same in para 4 are passed under sub regulation (1) be as mentioned in Appendix 'A':

Provided that-

(a) the Appointing Authority may leave unfilled or may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(b) the Board may, with the prior approval of the State Government, create such additional permanent or temporary posts as it considers proper.

PART III-RECRUITMENT

Source of Recruitment

5. Recruitment to various categories of posts in the Service shall be made from sources as specified against the relevant posts in column 6 of the **Appendix 'A'**

Reservation

6. Reservation for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

PART IV- QUALIFICATIONS

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be :-

(a) A citizen of India; or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before Ist January 1962 with the intention of permanently settling in India ; or

(c) A person of Indian origin migrated from Pakistan, Burma, Ceylon or any of the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of Uttrakhand.

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand.

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in the Service beyond a period of one year, shall be subject to his/her acquiring Indian Citizenship.

NOTE :- A candidate in whose case a certificate of eligibility in necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualifications

8. A candidate for direct recruitment to a post in the Service must posses the qualifications as specified against the relevant post in column 7 of the Appendix 'A'

Preferential Qualifications

9. A candidate who has :-

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or

(ii) obtained a "B" certificate of National Cadet Corps;

shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

10. A candidate for direct recruitment to the various posts in the Service must have attained the minimum age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on January 1st of the year in which recruitment is to be made , if the post are advertised during the period January 1st to June 30 and on July 1st , if the posts are advertised during the period from July 1st to December 31 :

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories to the State of Uttrakhand as may be notified by the government from time to time shall be higher by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for the Service . The Appointing Authority shall satisfy itself on this point.

Note:- Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man, already having a wife living. shall not be eligible for appointment to a post in the Service :

Provided that the Board may, if satisfied that there exist special reasons for doing so exempt any person from the operation of this regulation.

Physical Fitness

13. No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he has good mental and physical health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of Fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 contained in Chapter III of the Financial Handbook, Volume II, Part III:

Provided that a Medical Certificate of Fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART-V-PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of Vacancies

14. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories to the State of Uttrakhand under regulation 6. The Appointing Authority shall advertise the vacancies to be filled by direct recruitment in two leading newspapers. .

Direct Recruitment

15. (1) For the purpose of direct recruitment to a post in the Service there shall be constituted a Selection Committee comprising :-

(a)	The Chief Executive Officer	**Chairperson;**
(b)	An Officer belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, nominated by the Appointing Authority, if the Appointing Authority or his nominee does not belong to Scheduled Castes or scheduled Tribes . If the Appointing Authority or his nominee belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes . an officer other than belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes to be nominated by the Appointing Authority.	**Member**

(c)	Two officers nominated by the Appointing Authority one officer belonging to Minority Community and the other belonging to Backward Classes.	Member
(d)	Officer –in-charge of the Establishment	Member
(e)	One technical officer nominated by the Appointing Authority	Member
(f)	Secretary to the Government of Uttarakhand in Personnel Department or his nominee not below the rank if Deputy Secretary.	Member
(g)	One representative of State Office of Khadi and Village Industries Commission.	Member

(2) The Selection Committee shall scrutinize the applications and require the eligible candidates to Appear in a competitive examination.

(3) Written examination will be of objective type. which will include subject papers of General Hindi . General Knowledge and General studies two copies (one carbon copy) will be provided to the candidate so that candidate can retain one copy of the papers, with them. Negative marking system will be adopted to avoid the guess work . In order to ensure transparency in the selection procedure answer sheets of question papers and marks secured by the candidates will be advertised in the newspapers and will also be displayed on the Notice Board. Since it will be written examination no extra marks will be awarded for higher qualification other them required for the particular post . Accordingly distribution of the marks for the selection will be as hereunder :-

(a) 30% marks of the total marks obtained by the candidate at minimum required qualification level (eg-Intermediate);

(b) 40% marks for written examination (objective type);

(c) Maximum 15%, marks will be allocated to the retrenched employee. Their marks will be calculated on the basis of 5 marks for one complete year of service for example if one employee (retrenched) served continuously for one year he will get 5 marks and if he served continuously for two years he will get 10 marks.

(d) The marks to the sportsman shall be awarded by the following manner subject to maximum 5% the total marks :-

i.	for International level sportsmen /women	- 5 Percentage
ii.	for National level sportsman/women	- 4 Percentage
iii.	For State level sportsman/woman	- 3 Percentage
iv.	for University /Post graduate College/ College level sportsman /women	- 2 Percentage

(e) 10% marks will be allocated for interview. which will be distributed as follows:-

(i) up to 4 Percentage for subject /General knowledge.
(ii) up to 3 Percentage for personality as assessment.
(iii) up to 3 Percentage for power of expression.

(f) After the written examination a merit list will be prepared for the marks secured by the candidate mentioned from clause I to IV . There after on the basis of merit list four candidates will be called for interview for each vacant post.

(g) Each member of the Interview Committee, including the Chairperson of the Committee will allocate the marks separately based on above categorization .Total marks obtained in interview will calculated by adding the separate marks given by the committee members. Marks obtained in the qualifying examination by candidate will not be provided to the interview Committee so that they may not be prejudiced to the candidate.

(h) After the Interview but before declaration of the results the marks obtained by the candidates in written Examination and the interview will be displayed on the Notice Board.

(4) If any candidate wants to inspect documents of the selection procedure and the marks awarede to the candidate. he/she may do after depositing the prescribed possible fee. In case any candidate wants photocopy of the documents. he/she can get by depositing the fees of Rs. 5/- per page.

(5) If two or more candidates get equal marks, the Selection Committee will prepare merit list on the basis of their date of birth.

(6) The total number of names in the waiting list shall be 25% of the total vacancies in order of merit. The Selection Committee will forward the list of selected candidate so prepared to the Appointing Authority.

Procedure for Recruitment by Promotion

16. (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit, through a Departmental Promotion Committee comprising:

(a) The Chief Executive Officer **Chairperson;**
(b) Additional Chief Executive Officer in charge of the Establishment - **Member;**
(c) An officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe nominated by the Appointing Authority - **Member;**
(d) A technical officer nominated by the Appointing Authority. - **Member;**

Provided that in case there is no member belonging to Backward Class in the Selection Committee, an officer belonging to Backward Class shall be nominated by the Appointing Authority as additional member of the Selection Committee.

(2) The Appointing Authority shall prepare eligibility list of the candidates in accordance with the Uttrakhand Promotion by Selection (for the posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List as amended from time to time and place it before the Departmental Promotion Committee along with their Character Rolls and such other records pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Departmental Promotion Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records placed before it and if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority as it was in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the Appointing Authority.

Combined Select list.

17 If in any year of recruitment Appointment are made both by direct recruitment and by promotion for any category of post in the Service, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists in such manner that the prescribed percentage is maintained , the first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART-VI-APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

18. (1) Subject to the provisions of sub-regulation (2) the Appointing Authority shall make appointments by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under regulations 15, 16 or 17 as the case may be.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. if appointments are made both by direct recruitment and promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order , referred to in regulation 17.

Probation

19. (1) A person on substantive appointment to a post in the Service shall be placed on probation for a period of two years. in the case of a person appointed by promotion the period of probation shall be one year.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual case, specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that save in exceptional circumstances the period of probation may not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post if any and if he does not hold a lien in any post his services may be dispeused with .

(4) The probationer, who is reverted or whose services are dispensed with. under sub- regulation (3), shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous Service rendered in an officiating or temporary capacity in a post, included in the cadre of the Service or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

20. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of period of probation or the extended period of probation, if :-

(a) his work and conduct have been found satisfactory;

(b) his integrity is certified and

(c) the Appointing Authority is satisfied that he his otherwise fit for confirmation.

Seniority

21. (1) Except as hereinafter provided ,the seniority of persons appointed in any category of post in the Service shall be determined from the date of the order of substantive appointment and if two or more persons are appointed together, by the order in which their names are arranged in the appointment order.

Provided that if the appointment order specified a particular back date from which a person is substantively appointed, that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment and in other cases it will mean the date of issue of the order :

Provided further that, if more than one order of appointments are issued in respect of any one selection , the seniority shall be the saw as mentioned in the combined order of appointment issued under sub-regulation (2) of regulation 18.

(2) The Seniority inter se of persons appointed directly on the result of any one selection. shall be the same as determined by the Selection Committee.

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him . The decision of the Appointing Authority as to the validity of reason shall be final.

(3) The seniority inter se of persons appointed by promotion on the result of any one selection shall be the same as it was the cadre in which they were promoted.

(4) Where appointments are made both by promotion and by form direct recruitment or from more than one sources and the respective quota of the sources is prescribed, the inter se seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order in a combined list , prepared in accordance with regulation 17 in such manner that the prescribed percentage is maintained :

Provided that-

(1) Where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, for seniority to subsequent year or years in which there are vacancies in accordance with the quota.

(2) Where appointments from any source fall short of the prescribed quota and appointment against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so however, that in the combined list of that year, to be prepared under this regulation , their names shall be placed at the top followed by the names, in the cyclic order of the other appointees.

PART-VII-PAY ETC.

Scales of Pay

22 (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of post in the Service whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Board , with the prior approval of the Government from time to time.

(2) The scales of pay in force at the time of commencement of these regulations are as specified against the relevant posts in the Appendix'a'

Pay During Probation

23 A person on probation, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination if any and undergone training where prescribed and second increment after two year's of service when he has completed the probationary period and is also confirmed :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not counted for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

PART-VIII-OTHER PROVISIONS

Canvassing-

24- No recommendations either written or oral, other than those required under the regulations applicable to the post in the Service, will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulations of other matters-

25- In regard to the matters not specifically covered by these regulations or by special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules , regulations and orders, applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation in the conditions of service-

26- Where the Appointing Authority is satisfied that the operation of any regulation, regulating the conditions of service of a person, appointed to the Service, causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the regulation applicable to the case, by order, dispense with or relax with prior approval of the government the requirements of that regulation to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Transfer

27 The incumbents of each category of posts in the Service may be transferred by the Appointing Authority in accordance with the Government Orders issued time to time.

Savings-

28- Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates, belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons to the State of Uttarakhand in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Appendix 'A'

{See sub-regulations (4) of regulation 4, 5 and 8

Sl. No.	Designation	Pay Band/ Grade Pay Rs.	Technical/ Non technical	Sanctioned posts (permanent)	Source of recruitment	Academic Qualifications	Appointing Authority
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	Joint Chief Executive Officer	Rs. 15600-39100 Rs . 6600/-	Non technical	01	By promotion from amongst substantively appointed Deputy Chief Executive Officers (Rs.15600-39100). on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, who have completed three years service, as such on the first day of the year of recruitment.	_	Chief Executive Officer
2	Deputy Chief Executive Officer	Rs. 15600-39100 Rs . 5400/-	Non technical	02	By promotion from amongst substantively appointed District Village Industries Officers. (Rs.15600-39100). on the basis of seniority ,subject to rejection of unfit, who have completed three years service ,as such, on the first day of the year of recruitment.	_	Chief Executive Officer
3	District Village Industries Officer	Rs. 15600-39100 Rs . 5400/-	Non technical	13	(a) Fifty percent by direct recruitment. (b) Fifty percent By promotion from amongst substantively appointed , in the pay scale Development Officer (Rs. 9300-34800) Administrative Officer (II) (Rs. 9300-34800) ., Account Inspector(Rs. 9300-34800) Personal Assistant (Rs. 9300-34800) , on the basis of seniority, subject to rejection of unfit,. who have completed three years service, as such, on the first day of the year of recruitment.	(a) 1- Bachelor's Degree. 2. Ten months Training in khadi Gramodyog from Khadi and village Industries Commission or Institutions sponsored by it.	Chief Executive Officer

Sl. No.	Designation	Pay Band/ Grade Pay Rs.	Technical/ Non technical	Sanctioned posts (permanent)	Source of recruitment	Academic Qualifications	Appointing Authority
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Assistant Director of Industries (wool)	Rs. 15600-39100 Rs . 5400/-	Technical	01	By promotion from amongst substantively appointed Designer/Officer In Charge Lab (Rs. 9300-34800) on the basis of seniority ,subject to rejection of unfit,. who have completed three years service as such on the first day of the year of recruitment	-	Chief Executive Officer
5	Prashikshak	Rs. 9300-34800 Rs . 4200/-	Technical	04	Direct Recruitment	1-Bachelor's Degree 2- Trained in supervisory course in trade from Industries sponsored by khadi and Village Industries Commission or degree or diploma in the Trade from a government institute.	Chief Executive Officer
6	Designer/Officer - in Charge Lab	Rs. 9300-34800 Rs . 4200/-	Technical	01	By promotion from amongst substantively appointed Divisional Superintendents industries (wool) (Rs. 9300-34800), on the basis of seniority, subject to rejection of unfit. who have completed three years service, as such, on the first day of the year of recruitment	-	Chief Executive Officer

MANISHA PANWAR,

Chief Executive Officer.

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

29 अप्रैल, 2016 ई0

सं0 F9(21)(V)/RG/UERC/2016/162–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(2)(zp) सपठित धारा 86(1)(e) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन विनियम, 2013 (मुख्य विनियम) और उस में किये गये पश्चात्वर्ती संशोधन में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन :

(1) इन विनियमों का नाम उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) (पंचम संशोधन) विनियम, 2016 होगा।

(2) ये विनियम इनकी अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियम के विनियम 2 का संशोधनः

मुख्य विनियमों के विनियम 2(1) के प्रथम और द्वितीय परन्तुकों को निम्न लिखित रुप से प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"बशर्ते पवन, लघु जल विद्युत परियोजनाओं, रैनकिन चक्र पर आधारित बॉयोमास, गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित परियोजनाओं, सोलर पी0वी0 कैनाल बैंक व कैनाल टॉप सौर पी0वी0, सौर तापीय ऊर्जा परियोजनाओं, ग्रिड इन्टरेक्टिव रुफ टॉप और लघु सौर पी0वी0 संयंत्रों, बॉयोमास गैसी फायर तथा बॉयोगैस, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट और कूड़ा व्युत्पादित ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजना के मामलों में ये विनियम, इन विनियमों में विनियम 4 में विनिर्दिष्ट योग्यता मानदण्ड को पूरा करने की शर्त पर लागू होंगे।

बशर्ते आगे यह कि अध्याय 4 एवं 5 के विनियम इन विनियमों के प्रभावी होने से पूर्व कमीशन्ड उत्पादक स्टेशनों के लिये लागू नहीं होंगे और विनियम 29(1), विनियम 30(2), विनियम 31(2) और विनियम 32(2) में विनिर्दिष्ट ईंधन लागत (परिवर्ती प्रभार) को छोड़कर वर्तमान शुल्क तदनुरुपी उत्पादक संयंत्रों पर लागू रहेंगे। तथापि, इन उत्पादक संयंत्रों को इस संबंध में सुसंगत विनियमों की प्रयोज्यता चाहने के लिये एक आवेदन करना होगा। तथापि, विनियम 15(1)(बी) में विनिर्दिष्ट सौर तापीय/पी0वी0 उत्पाद स्टेशनों के लिये जेनेरेक शुल्क और उसके अतिरिक्त, 12 पैसा/यूनिट के मानकीय सतहीकृत शुल्क का प्रावधान इन विनियमों के प्रभावी होने से पूर्व कमीशन्ड स्टेशनों पर भी लागू रहेगा। अध्याय 4 और 5 के प्रावधानों को छोड़कर अन्य प्रावधान उत्तराखण्ड राज्य में स्थित ऐसे अन्य उत्पादक स्टेशनों पर लागू होंगे जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित हैं, इनमें ऐसे गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन भी सम्मिलित है जो राज्य पारेषण और/या वितरण प्रणाली का उपभोग करते हुए वितरण अनुज्ञापी के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को विद्युत पारेषित और/या आपूर्ति करते हैं।

3. मुख्य विनियम के विनियम 2 का संशोधनः

मुख्य विनियम के विनियम 2(3) को निम्नलिखित रुप से प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

'(3) इन विनियमों के अधीन सौर पी.वी., सौर तापीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये विनिर्दिष्ट सामान्य शुल्क, अधिकतम शुल्क होगा तथा वितरण अनुज्ञापी, इन उत्पादकों/विकासकर्ताओं से ऊर्जा की अधिप्राप्ति हेतु उत्पादकों/विकासकर्ताओं से बोली आमंत्रित करेगा। वितरण अनुज्ञापी न्यूनतम शुल्क की बोली लगाने वाले उत्पादक/विकासकर्ता के साथ ऊर्जा क्रय करार करेगाः

परन्तु, योग्य सरकारी संगठन (MNRE द्वारा विनिर्दिष्ट) द्वारा कैनाल बैंक और कैनाल टॉप सौर पी0वी0 संयंत्रों का क्रियान्वयन शुल्क आधारित बोली प्रक्रिया द्वारा भी किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में शुल्क आधारित बोली प्रक्रिया द्वारा क्रियान्वित, इन संयंत्रों से ऊर्जा के विक्रय हेतु पी0पी0ए0 वितरण अनुज्ञापी के साथ ऐसे शुल्क पर हस्ताक्षरित किये जायेंगे जो L-1 बोलीदाता द्वारा उद्धरित किये गये शुल्क से 10% अधिक हों।

परन्तु, किसी भी मामले में वितरण अनुज्ञापी द्वारा ऊर्जा हेतु पी0पी0ए0, विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम शुल्क सीमा से अधिक शुल्क पर निष्पादित नहीं किया जायेगा।"

4. मुख्य विनियम के विनियम 3 का संशोधन :

4.1 विनियम 3(1)(v) के अधीन निम्नलिखित परिभाषा प्रतिस्थापित की जायेगी :–

"(v) "अन्तः संयोजन बिंदु" से सिवाय ग्रिड इन्टरेक्टिव रुफ टॉप और लघु सौर पी0वी0 ऊर्जा परियोजनाओं के, सभी नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादक स्टेशनों के संबंध में, पारेषण प्रणाली अथवा वितरण प्रणाली के साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन सुविधा का इन्टरफेस बिंदु अभिप्रेत होगा, जो कि जनरेटर ट्रांसफार्मर की एच0वी0 साईड पर बाहर जाने वाले फीडर पर लाईन आईसोलेटर होगा,

तथापि, ग्रिड इन्टरेक्टिव रुफ टॉप और लघु सौर पी0वी0 ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में अन्तः संयोजन बिंदु से अनुज्ञापी के नेटवर्क के साथ नेट मीटरिंग व्यवस्था के अधीन सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का इन्टरफेस अभिप्रेत होगा जो कि सामान्यतया वह बिंदु होगा जहां अनुज्ञापी और योग्य उपभोक्ता के मध्य ऊर्जा के अंतरण को नापने के लिये आयात निर्यात मीटर संस्थापित किया गया है।"

4.2 निम्नानुसार विनियम 3(1)(w) के पश्चात् निम्नलिखित परिभाषा जोड़ी जायेगी :–

"(w1) 'नगर पालिका ठोस अपशिष्ट' से औद्योगिक संकटमय अपशिष्ट को छोड़कर किन्तु उपचारित बॉयो–मेडिकल अपशिष्ट को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध–ठोस अवस्था में नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र में उत्पन्न व्यावसायिक और आवासीय अपशिष्ट अभिप्रेत और सम्मिलित है"

4.3 निम्नानुसार विनियम 3(1)(dd) के पश्चात् निम्नलिखित परिभाषा जोड़ी जायेगी :–

"(ee1) 'कूड़ा व्युत्पादित ईंधन' से ठोस अपशिष्ट के दहनशील अवयवों को सुखाकर, पत्थर पृथक कर, कतर कर, निर्जलीकृत कर और कॉम्पैक्ट कर उत्पादित गोली या रोयें के रुप में क्लोरिनेटेड प्लास्टिक से अन्यथा ठोस अपशिष्ट का पृथक्कीकृत दहनशील भाग अभिप्रेत है जिसे ईंधन के रुप में उपयोग में लाया जा सकता हो,"

4.4 निम्नानुसार विनियम 3(1)(ii) के पश्चात् निम्नलिखित परिभाषा जोड़ी जायेगी :–

"((ii1) 'कैनाल बैंक पर सौर पी0वी0 ऊर्जा संयंत्र' से कैनाल्स के किनारों पर संस्थापित सौर पी0वी0 ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत हैं।

(ii2) 'कैनाल टॉप पर सौर पी0वी0 ऊर्जा संयंत्र' से कैनाल्स के टॉप पर संस्थापित सौर पी0वी0 ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत है।"

4.5 विनियम 3(1)(nn) (ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"(ii) बॉयोमास ऊर्जा परियोजना जिसमें नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) और कूड़ा व्युत्पादित ईंधन (RDF) आधारित रेनकिन चक्र के साथ ऊर्जा परियोजनाएं सम्मिलित हैं, – 20 वर्ष"

4.6 विनियम 3(1)(nn) (v) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"(V) सौर पी0वी0/सौर तापीय/ग्रिड इन्टरेक्टिव रुफ टॉप और कैनाल बैंक/कैनाल टॉप पर लघु सौर पी0वी0 संयंत्र/सौर पी.वी. ऊर्जा संयंत्र, – 25 वर्ष

5. मुख्य विनियम के विनियम 4 में संशोधन :

5.1 मुख्य विनियमों के विनियम 4(2)(c) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित एवं इस रुप में पढ़ा जायेगा :–

"(c) सौर पी0वी0, कैनाल बैंक व कैनाल टॉप सौर पी0वी0, सौर तापीय और ग्रिड इन्टरेक्टिव रुफ टॉप तथा लघु सौर पी0वी0, ऊर्जा परियोजनाएं –MNRE द्वारा अनुमोदित प्रौद्योगिकी के आधार पर।"

5.2 मुख्य विनियमों के विनियम 4(2)(g) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :–

"(h) नगर पालिका ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा परियोजनाएं–परियोजना, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा परियोजना कहलाने के लिये तभी अर्ह होगी, यदि वह रेनकिन चक्र प्रौद्योगिकी पर आधारित नये संयंत्र और यंत्र का उपयोग कर रही हो और ईंधन स्रोतों के रुप में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का उपयोग कर रही हो।"

5.3 मुख्य विनियमों के विनियम 4(2)(h) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :–

"(i) कूड़ा व्यूत्पादित ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजनाएं–परियोजना, कूड़ा व्यूत्पादित ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजना कहलाने के लिये तभी अर्ह होगी, यदि वह रेनकिन चक्र प्रौद्योगिकी पर आधारित नये संयंत्र और यंत्र का उपयोग कर रही है और ईंधन स्रोतों के रुप में कूड़ा व्यूत्पादित ईंधन का उपयोग कर रही है।"

6. मुख्य विनियमों के विनियम 11 में संशोधन :

मुख्य विनियमों के विनियम 11(1) के प्रथम परन्तुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"बशर्ते, सौर पी.वी., कैनाल बैंक व कैनाल टॉप सौर पी0वी0, सौर तापीय, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा परियोजनाओं, कूड़ा व्युत्पादित ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजनाओं और ग्रिड इन्टरेक्टिव रुफ टॉप तथा लघु सौर पी0वी0 परियोजनाओं की बेंचमार्क पूंजी लागत की आयोग द्वारा वार्षिक रुप से समीक्षा की जायेगी"

7. मुख्य विनियमों के विनियम 19 में संशोधनः

मुख्य विनियम के विनियम 19 के उप–विनियम (1) की प्रथम पंक्ति में शब्द "सौर पी0वी0" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जायेंगेः–

"कैनाल बैंक व कैनाल टॉप सौर पी0वी0 "

मुख्य विनियम के विनियम 19 के उप विनियम (2) की प्रथम पंक्ति में शब्द "बॉयोमास ऊर्जा परियोजनाओं" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जायेंगेः–

"नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा परियोजनाओं, कूड़ा व्यूत्पादित ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजनाओं"

8. मुख्य विनियमों के विनियम 33 के पश्चात् एक नया विनियम 33 (A) का जोड़ा जानाः

"33 (A) कैनाल बैंक सौर पी0वी0 ऊर्जा संयंत्र और कैनाल टॉप सौर पी0वी0 ऊर्जा संयंत्र"

इन विनियमों के अधीन कैनाल बैंक सौर पी0वी0 ऊर्जा संयंत्रों और कैनाल टॉप सौर पी0वी0 ऊर्जा संयंत्रों के लिये मानक उन ग्रिड संयोजित पी0वी0 प्रणालियों हेतु लागू होंगे जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तित करती हैं और प्रौद्योगिकी विशिष्ट मानदण्डों पर आधारित हैं। ऐसे ऊर्जा संयंत्रों हेतु सामान्य शुल्कों का अवधारण नीचे दिये गये अनुसार होगाः–

उप विनियम 1 (2) में उल्लिखित तिथि पर या उसके पश्चात् कमीशन्ड परियोजनाएँ

सौर पी0वी0 संयंत्र का प्रकार	पूंजी लागत	कमीशनिंग के वर्ष हेतु ओ एण्ड एम व्यय	क्षमता उपयोगिता कारक
	(₹ लाख/मेगावॉट)	(₹ लाख/मेगावॉट)	
कैनाल बैंक सौर पी0वी0 संयंत्र	6.85	11.63	19%
कैनाल टॉप सौर पी0वी0 संयंत्र	7.05	11.63	19%

9. मुख्य विनियमों के विनियम 36 के पश्चात् एक नये विनियम 36 (A) को जोड़नाः

"36 (A) नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित परियोजनाएं"

यहां नीचे शुल्क अवधारणा के लिए मानक उन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए है जो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट और कूड़ा व्यूत्पादित ईंधन का उपयोग करती है और जो रैनकिन चक्र प्रौद्योगिकी उपयोजन, दहन या भस्मीकरण, बॉयो मेथनेशन, पॉयरोलाइसिस और हाई एंड गैसीफायर प्रौद्योगिकी पर आधारित है। पूंजी लागत, संयंत्र भार कारक, अनुषंगी उपभोग इत्यादि से संबंधित मानक नीचे लिखे अनुसार होंगेः–

उप विनियम 2(1) में उल्लिखित तिथि पर या उसके पश्चात् कमीशन्ड परियोजनाएँः

परियोजना	पूंजी लागत (₹ लाख/मेगावॉट)	कमीशनिंग के वर्ष हेतु ओ एण्ड एम व्यय (₹ लाख/मेगावॉट)	सयंत्र भार कारक	अनुषंगी उपभोग	स्टेशन ताप दर Kcal/KWh	कैलोरिफिक मूल्य Kcal/Kg.
MSW	*1500*	*प्रथम वर्ष हेतु परियोजना का 6% और 5.72% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि की जायेगी*	*स्थिरीकरण व प्रथम वर्ष के दौरान 65%* *द्वितीय वर्ष से आगे 75%*	*15%*	*4200*	–
RDF	*900*	*प्रथम वर्ष हेतु परियोजना लागत का 6% और 5.72% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि की जायेगी*	*स्थिरीकरण व प्रथम वर्ष के दौरान 65%* *द्वितीय वर्ष से आगे 75%*	*15%*	*4200*	*2500*

नोटः–(a) *नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का उपयोग करने वाली ऊर्जा परियोजनाओं के लिये शुल्क के अवधारण हेतु किसी ईंधन लागत पर विचार नहीं किया जायेगा।*

(b) *इन संशोधित विनियमों की अधिसूचना के पश्चात् प्रथम वर्ष हेतु RDF ईंधन मूल्य (P) 1800/MT के रूप में लिया जायेगा जिसे 20%, 60% और 20% वरीयता के साथ क्रमशः ईंधन हैंडलिंग हेतु वार्षिक स्फीति दर (WPI), सूचनबद्ध ऊर्जा प्रभार घटक (ICR) और परिवहन लागत (हाई स्पीड डीज़ल हेतु कीमत : Pd) पर आधारित शुल्क अवधि में विभिन्न वर्षों हेतु निम्नलिखित फॉर्मूला के अनुसार सूचनबद्ध किया जायेगाः*

(P(n)=P (n-1){02.*(WPI (n)/WPI (n-1)+0.6*(1+IRC) (n-1)+0.2*(Pd(n)/Pd(n-1))}*

(c) *तथापि nवें वर्ष के सूचकांक चूंकि nवें वर्ष के अन्त में ही ज्ञात हो पायेंगे, अतः उत्पादक कंपनी को पिछले वर्ष की ईंधन लागत पर 5% के मानकीय वृद्धिकारक पर आधारित nवें वर्ष हेतु ईंधन लागत बिलों को जारी करने की अनुमति होगी जिसे nवें वर्ष हेतु वास्तविक सूचकांक के आधार पर समायोजित किया जायेगा।*

(d) *वैकल्पिक रूप से शुल्क अवधि के प्रत्येक पश्चातवर्ती वर्ष हेतु प्रति वर्ष 5% का मानकीय वृद्धिकारक बॉयोमास परियोजना विकासकर्ता के विकल्प पर प्रयोज्य होगाः*

परन्तु उत्पादक कंपनी द्वारा वितरण अनुज्ञापी को मानकीय या सूचनबद्ध ईंधन लागत के लिए अपना विकल्प कमीशनिंग की तिथि से न्यूनतम तीन माह पूर्व या इन विनियमों के जारी होने की तिथि से एक माह पश्चात्, जो बाद में हो, पर देना होगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प पी0पी0ए0 की वैधता अवधि के दौरान परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

nवें वर्ष हेतु शुल्क के ईंधन लागत घटक की संगणना निम्नानुसार की जायेगीः–

$$\text{परिवर्ती प्रभार की दर (रू0/केडब्ल्यूएच)वीसीएन} = \frac{\text{सकल स्टेशन ताप पर (जीएसएचआर) x पीएन x 10}}{\text{सकल कैलोरिफिक मूल्य (जीसीवी) x (100–एयूएक्स)}}$$

10. मुख्य विनियमों के परिशिष्ट के प्रपत्र 2.1 का संशोधनः

मुख्य विनियमों के परिशिष्ट के प्रपत्र 2.1 का शीर्षक निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

"प्रपत्र–2.1 प्रपत्र टेम्प्लेट के लिए (बॉयोमास ऊर्जा, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, कूड़ा व्यूत्पादित ईंधन या गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन) मानदण्ड धारणायें।"

11. मुख्य विनियमों के परिशिष्ट के प्रपत्र 2.1 का संशोधनः

मुख्य विनियमों के परिशिष्ट के प्रपत्र 2.1 की 6वीं पंक्ति को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

धारणा शीर्ष	उप–शीर्ष	उप–शीर्ष (2)	यूनिट	मूल्य
ईंधन संबंधी धारणाएं	स्टेशन ताप दर	स्थिरीकरण के दौरान	Kcal/ KWh	
		स्थिरीकरण के पश्चात्	Kcal/ KWh	
	ईंधन के प्रकार और मिश्रण	बॉयोमास ईंधन प्रकार –1	%	
		बॉयोमास ईंधन प्रकार –2	%	
		नगरपालिका ठोस अपशिष्ट ईंधन	%	
		कूड़ा व्यूत्पादित ईंधन	%	
		जीवाश्म ईंधन (कोयला)	%	
		बॉयोमास ईंधन प्रकार–1 का जी0सी0वी0	Kcal/Kg	
		बॉयोमास ईंधन प्रकार–2 का जी0सी0वी0	Kcal/Kg.	
		जीवाश्म ईंधन (कोयला) का जी0सी0वी0	Kcal/Kg.	
		बॉयोमास मूल्य (ईंधन प्रकार–1): वर्ष–1	₹ /MT	
		बॉयोमास मूल्य (ईंधन प्रकार –2): वर्ष–1	₹/MT	
		जीवाश्म ईंधन मूल्य (कोयला): वर्ष–1	₹ /MT	
		ईंधन मूल्य वृद्धिकारक	% प्रतिवर्ष	

12. मुख्य विनियमों के परिशिष्ट के प्रपत्र 2.2 का संशोधन :

मुख्य विनियमों के परिशिष्ट के प्रपत्र 2.2 का शीर्षक निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

" प्रपत्र– 2.2 प्रपत्र टेम्प्लेटः के लिये (बॉयोमास ऊर्जा, नगरीय ठोस अपशिष्ट, कूड़ा व्यूत्पादित ईंधन या गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन) शुल्क घटकों का अवधारण।"

13. मुख्य विनियमों के परिशिष्ट के प्रपत्र 2.2 का संशोधनः

मुख्य विनियमों के परिशिष्ट के प्रपत्र 2.2 के "शुल्क घटक (परिवर्तित प्रभार)" हेतु सारणी निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जाएगीः–

शुल्क घटक (परिवर्तित प्रभार)	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
बॉयोमास ईंधन प्रकार –1	₹ लाख																																			
बॉयोमास ईंधन प्रकार –2	₹ लाख																																			
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट	₹ लाख																																			
कूड़ा व्यूत्पादित ईंधन	₹ लाख																																			
जीवाश्म ईंधन (कोयला)	₹ लाख																																			
उप–योग (ईंधन लागतें)	₹ लाख																																			
ऊर्जा पर विनियोज्य ईंधन लागत	%																																			
कुल ईंधन लागत	₹ लाख																																			

14. मुख्य विनियमों के संलग्नक–1 का संशोधनः

(i) मुख्य विनियम के संलग्नक –1 की क्रम सं0 2 के पश्चात् निम्नानुसार क्रम सं0 2 A जोड़ा जायेगाः–

"2 A" नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) आधारित ऊर्जा परियोजनाओं के लिये ₹/KWh में स्थिर प्रभार की स्तरीकृत दर (RFC):

विवरण	नगर पालिका ठोस अपशिष्ट आधारित परियोजनाओं के लिये स्थिर प्रभार की दर (₹/kWh)
सकल शुल्क	*7.10*
घटा करः त्वरित अवक्षय लाभ	*0.40*
शुद्ध शुल्क	*6.70*

(ii) मुख्य विनियम के संलग्नक–1 के क्रम सं0 2 के पश्चात् क्रम सं0 2B निम्नानुसार जोड़ी जायेगीः–

"2.3" कूड़ा व्यूत्पादित ईंधन (RDF) आधारित ऊर्जा परियोजनाओं के लिये ₹/kWh में स्थिर प्रभारों की स्तरीकृत दर (RFC)व परिवर्तित प्रभारः

विवरण	कूड़ा व्यूत्पादित ईंधन (RDF) आधारित परियोजनाओं के लिये स्थिर प्रभार की दर (₹/kWh)
सकल शुल्क	*4.35*
घटा करः त्वरित अवक्षय लाभ	*0.25*
शुद्ध शुल्क	*4.10*

वर्ष	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
कूड़ा व्यूत्पादित ईंधन *(RDF):* वित्तीय वर्ष के रूप में वर्ष 1 हेतु परिवर्तित प्रभार की दर जिसमें 5% पश्चातवर्ती मानकीय वृद्धि के साथ विनियमों का पाँचवां संशोधन अधिसूचित किया जा रहा है।	*3.56*	*3.74*	*3.92*	*4.12*	*4.32*	*4.54*	*4.77*	*5.01*	*5.26*	*5.52*	*5.80*	*6.08*	*6.39*	*6.71*	*7.04*	*7.40*	*7.77*	*8.15*	*8.56*	*8.99*

(iii) मुख्य विनियमों के संलग्नक–1 के क्रम में सं0 6 के पश्चात् निम्नानुसार क्रम सं0 6A जोड़ा जायेगा :–

"6 A" कैनाल बैंक सौर पी0वी0 और कैनाल टॉप सौर पी0वी0 ऊर्जा परियोजनाओं के लिये स्थिर प्रभार की स्तरीकृत दर (RFC):

विवरण	कैनाल बैंक सौर पी0वी0 ऊर्जा संयंत्र की दर (₹/kWh)	कैनाल टॉप सौर पी0वी0 ऊर्जा संयंत्र (₹/kWh)
सकल शुल्क	*7.35*	*8.45*
घटा करः त्वरित अवक्षय लाभ	*0.65*	*0.80*
शुद्ध शुल्क	*6.70*	*7.65*

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर–1), ग्रामीण निर्माण विभाग

कार्यालय आदेश

29 जून, 2016 ई0

पत्रांक 858/ग्रा0नि0वि0/स्था0–दो–58/2016–17–चयन समिति की संस्तुति के आधार पर मुख्य अभियन्ता (स्तर–1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून कार्यालय में कार्यरत श्री रमेश चन्द्र नैनवाल, प्रशासनिक अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पद वेतन बैण्ड–2, ₹ 9,300–34,800, ग्रेड पे ₹ 4,800 में पदोन्नत किया जाता है।

ह0 (अस्पष्ट),
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1),
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट/339–भाग 1–क–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 जुलाई, 2016 ई0 (श्रावण 01, 1938 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

विज्ञप्ति

24 मई, 2016 ई0

संख्या 202/रा0नि0आ0अनु0–2/2053/2016–उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा अधिसूचना संख्या–201/रा0नि0आ0–2/2053/2016, दिनांक 24.05.2016 निर्गत होने के साथ ही तात्कालिक प्रभाव से सम्बन्धित जनपदों की उन ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों, जिनमें निर्वाचन कराये जा रहे हैं, के सम्बन्धित प्रादेशित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता मतगणना समाप्ति तक प्रभावी की जाती है।

सुबर्द्धन,

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), उत्तरकाशी

अधिसूचना

25 मई, 2016 ई0

पत्रांक 128/पं0–उप निर्वाचन/2016–मा0 राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या 201/रा0नि0आ0–2/2053/2016, दिनांक 24.05.2016, जिसमें ग्राम पंचायत प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत के विभिन्न कारणों से रिक्त पद जो किसी न्यायालय के आदेश से वाधित न हो, पर उप निर्वाचन के लिए आदेश दिये गये हैं। उक्त आदेश के क्रम में मैं, श्रीधर बाबू अद्दांकी, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), उत्तरकाशी, जनपद उत्तरकाशी में रिक्त सदस्य ग्राम पंचायतों, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों, जिनका विकास खण्डवार विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, पर उप निर्वाचन का कार्यक्रम आयोग द्वारा दी गई समय–सारणी के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित करता हूँ:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
30.05.2016 एवं 31.05.2016 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	01.06.2016 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	02.06.2016 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	03.06.2016 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	10.06.2016 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	13.06.2016 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	कॉलम–1,2,3 व 4 पर अंकित कार्यवाही निर्वाचन अधिकारी/आर0ओ0 तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी/ए0आर0ओ0 के समक्ष नामांकन की कार्यवाही समय–सारणी के अनुसार क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) मुख्यालय पर सम्पन्न की जायेगी। कॉलम–5 पर अंकित मतदान सम्बन्धित ग्राम पंचायत के निर्धारित स्थल पर तथा कॉलम–6 पर अंकित मतगणना विकास खण्ड मुख्यालय पर सम्पन्न की जायेगी। तदोपरान्त निर्वाचन परिणाम की घोषणा भी आर0ओ0 द्वारा क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी।

रिक्त पदों का विवरण/अनुसूची

क्र0 सं0	सम्बन्धित विकास खण्ड का नाम	पद और स्थानों की स्थिति	पदों की संख्या
1.	भटवाडी	प्रधान, ग्राम पंचायत, डांग	01
2.	डुण्डा	सदस्य, ग्राम पंचायत	04
3.	–"–	सदस्य, क्षेत्र पंचायत (13–पटारा)	01
4.	चिन्यालीसौड	सदस्य, ग्राम पंचायत	12
5.	मोरी	सदस्य, ग्राम पंचायत	03
योग			21

2. निर्वाचन अधिकारी (आर0ओ0) सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों/स्थानों के संलग्न सूची के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षण का विवरण देते हुए अपने स्तर से भी नामांकन से पूर्व सूचनालेख शीघ्र प्रकाशित करायेंगे जिसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायेंगे। उक्त निर्वाचन कार्यक्रम को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से मुनादी द्वारा ग्रामवासियों की जानकारी हेतु प्रचार–प्रसार करायेंगे।

3. इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित व निर्देशित है।

4. रिक्त पदों/स्थानों से सम्बन्धित क्षेत्र में आयोग द्वारा दी गई संलग्न विज्ञप्ति संख्या–202/रा0नि0आ0–2/2053/2016, दिनांक 24.05.2016 के अनुसार आदर्श आचार संहिता दिनांक 24.05.2016 से मतगणना समाप्ति तक सम्बन्धित ग्राम पंचायतों/सदस्य, क्षेत्र पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से प्रभावी की गई है।

श्रीधर बाबू अद्दांकी,
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत), उत्तरकाशी।

कार्यालय जिला जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), उत्तरकाशी

आदेश

25 मई, 2016 ई0

पत्रांक 129/पं0–उप निर्वाचन/2016–मा0 राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या 201/रा0नि0आ0अनु0–2/2053/2016, दिनांक 24.05.2016 के क्रम में उप निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु मैं, श्रीधर बाबू अद्दांकी, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), उत्तरकाशी के कुल 19 सदस्य, ग्राम पंचायत, 01 ग्राम प्रधान तथा 01 सदस्य, क्षेत्र पंचायत के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु निम्न तालिकानुसार निर्वाचन अधिकारी (आर0ओ0) एवं सहा0 निर्वाचन अधिकारी (ए0आर0ओ0) के दायित्वों के निर्वहन हेतु निम्न अधिकारियों को पदाभिहित करता हूँ:–

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	तैनात निर्वाचन अधिकारी का नाम व पदनाम	तैनात किये गये सहा0 निर्वाचन अधिकारी का नाम व पदनाम
1	2	3	4
1.	भटवाडी	श्री एस0 एन0 पाठक, पशु चिकित्सा अधिकारी, भटवाडी	श्री किशन सिंह, सहा0 विकास अधिकारी, समाज कल्याण, भटवाडी
2.	डुण्डा	श्री डी0 एस0 बागडी, सहा0 अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, भटवाडी/ मुख्यालय, उ0का0	श्री सोहन सिंह राणा, सहा0 खण्ड विकास अधिकारी, डुण्डा
3.	चिन्यालीसौड	श्री कैलाश चन्द्र जोशी, खण्ड विकास अधिकारी, चिन्यालीसौड	श्री संजय लिंगवाल, बी0ओ0पी0आर0डी0, चिन्यालीसौड
4.	मोरी	श्री डी0 पी0 डिमरी, खण्ड विकास अधिकारी, मोरी	श्री पवन कुमार, सहा0 विकास अधिकारी, सहकारिता, मोरी

त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों के रिक्त पदों/स्थानों की माह फरवरी, 2016 तक की प्राप्त सूचना के आधार पर अद्यतन स्थिति

जनपद का नाम–उत्तरकाशी

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	रिक्त पद/स्थानों का नाम	रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम (ग्राम पंचायत)	आरक्षण/वर्ग	रिक्त रह जाने का कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	भटवाडी	प्रधान, ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत, डांग	अनारक्षित	मृत्यु के कारण	
2.	डुण्डा	सदस्य, ग्राम पंचायत	वार्ड संख्या–3, ग्राम पंचायत, ढुंगी	अनारक्षित	पूर्व से रिक्त, नामांकन न होने के कारण	
3.	–"–	–"–	वार्ड संख्या–2, सिंगुणी	अनु0जा0म0	–"–	
4.	–"–	–"–	वार्ड संख्या–7, मट्टी	अनु0जा0म0	–"–	
5.	–"–	–"–	वार्ड संख्या–3, नगल	अनु0जा0म0	–"–	
6.	डुण्डा	सदस्य, क्षेत्र पंचायत	13–पटारा	अनारक्षित	मृत्यु के कारण	
7.	चिन्यालीसौड	सदस्य, ग्राम पंचायत	वार्ड संख्या–1, जोगततल्ला	अनु0जा0म0	पूर्व से रिक्त, नामांकन न होने के कारण	
8.	–"–	–"–	वार्ड संख्या–6, नेरी	अनु0जा0म0	–"–	
9.	–"–	–"–	वार्ड संख्या–4, काण्डी	अनु0जा0म0	–"–	
10.	–"–	–"–	वार्ड संख्या–5, काण्डी	अनु0जा0म0	–"–	
11.	–"–	–"–	वार्ड संख्या–2, खदाडा	अ0पि0 वर्ग म0	–"–	
12.	–"–	–"–	वार्ड संख्या–1, रमोली	अनु0जा0म0	–"–	
13.	–"–	–"–	वार्ड संख्या–2, क्यारी (द)	अनु0जा0म0	–"–	
14.	–"–	–"–	वार्ड संख्या–5, रिखाणगाँव	महिला	–"–	

1	2	3	4	5	6	7
15.	—"—	—"—	वार्ड संख्या–2, नगाणगाँव	अनु0जा0म0	—"—	
16.	—"—	—"—	वार्ड संख्या–4, चिलोट	अनु0जा0म0	—"—	
17.	—"—	—"—	वार्ड संख्या–5, चिलोट	अनु0जा0म0	—"—	
18.	—"—	—"—	वार्ड संख्या–4, सर्प	अनारक्षित	पूर्व से रिक्त, नामांकन न होने के कारण	
19.	मोरी	सदस्य, ग्राम पंचायत	वार्ड संख्या–5, धारा	अनु0जा0म0	—"—	
20.	—"—	—"—	वार्ड संख्या–1, पवाणी	अ0पि0 वर्ग म0	—"—	
21.	—"—	—"—	वार्ड संख्या–5, गोकुल	अनु0जा0	—"—	

कुल 19 पद सदस्य, ग्राम पंचायत के 01 सदस्य, क्षेत्र पंचायत के तथा 01 पद प्रधान, ग्राम पंचायत का जनपद में रिक्त हैं।

श्रीधर बाबू अद्दांकी,
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत), उत्तरकाशी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट/339–भाग 3–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 जुलाई, 2016 ई0 (श्रावण 01, 1938 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैंने अपना नाम गोविन्द सिंह से बदलकर गोविन्द सिंह रावत रख लिया है, भविष्य में मुझे गोविन्द सिंह रावत पुत्र स्व0 चरण सिंह, 114/3/1, भेल, हरिद्वार के नाम से जाना जावे।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

गोविन्द सिंह रावत
पुत्र स्व0 चरण सिंह,
निवासी 114/3/1, भेल, हरिद्वार।

सूचना

मेरी पुत्री के इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2016 के प्रमाण–पत्र सं0 BP40043936 एवं अंकतालिका संख्या BP20045446 में भूलवश पुत्री का नाम दिव्या शर्मा एवं पत्नी का नाम संगीता शर्मा अंकित हो गया है, जबकि पुत्री का वास्तविक नाम कु0 दिव्या एवं पत्नी का नाम संगीता देवी है, भविष्य में मेरी पुत्री को कु0 दिव्या एवं पत्नी को संगीता देवी के नाम से जाना/पहचाना एवं पुकारा जाय।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

पारेश्वर प्रसाद,
ग्राम–शिवपुर, पोस्ट–कोटद्वार,
जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट/339–भाग 8–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।